विश्वभारती
शांतिनिकेतन

अधिसूचना

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती सुषमा राठौड़, अवर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ.नं. 16-14/2016 (सीयू) दिनांक 14.01.2016 के संदर्भ में आरबीआई (प्रति संलग्न) द्वारा प्राइवेट सेक्टर बैंक को सरकारी अभिकर्त्ता व्यवसाय प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया है।

सभी सर्वसंबंधित को यह सूचित किया जाता है।

मेमो नं. आरईजी/सूचना/156/314
दिनांक : 08.02.2016

कुलसचिव (कार्यरत)
विश्वभारती
17.02.16

संलग्न : यथोपरी

सेवा में,

1. श्री संतोशंकर दासगुप्त
   वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक एवं प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र
   - आपसे अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय वेबसाईट पर पत्र (संलग्न) को अपलोड करें।

संख्या.एस-11012/2(1) संदर्भ. मामला/2010/आरबीडी/1119-1179
वित्त मंत्रालय
महानियंत्रक लेखा व्यय विभाग
द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट
नई दिल्ली - 110511
टेलीफैक्स : 24649365 ई-मेल : sao-rbd@nic.in

दिनांक : 30.06.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय :आरबीआई द्वारा प्राईवेट सेक्टर बैंक को सरकारी अभिकर्त्ता व्यवसाय प्रबंधन के रूप में नियुक्ति करना।

इस कार्यालय के ओ.एम. संख्या एस-11012/1(12)/प्रा.बैंक/सीजीए/2012/आरबीडी/2235 दिनांक 26.11.2012 का अधिक्रमण करते हुए एवं आपके पत्र संख्या एम 11012/1(12) प्रा. बैंक/सीजीए/2012/545-613 दिनांक 09.04.2015 का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि वित्त सेवा विभाग के पत्र दिनांक 01.06.2015 को सरकारी व्यवसाय को अगले आवंटन पर प्रतिरोध हटा दी गई। प्राईवेट सेक्टर बैंक के पत्र दिनांक 13 सितंबर, 2012 एवं 19 फरवरी, 2015 से संबंधित भारतीय रिर्ज़ब बैंक ने इस बैंक को भुगतान अभिकर्त्ता आयोग का कार्य देखेगी।

2. तद्नुसार प्राईवेट सेक्टर बैंक विद्यमान सरकारी अभिकर्त्ता व्यवसाय को निरंतर जारी रखेंगे एवं प्राईवेट सेक्टर बैंक को सरकारी अभिकर्त्ता व्यवसाय के लिए कोई प्राधिकर नहीं दिए जाएंगे।
3. भारतीय रिर्ज़ब बैंक के पत्र दिनांक 25.02.2015 को स्पष्ट कर दिया कि बैंक गारंटी प्रस्तुती/सुरक्षा जमा आदि के सरकारी ठेकेदारों/आपूर्ति को प्राईवेट सेक्टर बैंक के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन का गठन अपने ग्राहकों के लिए करे एवं सरकारी व्यसाय के लिए इस तरह की कोई धनराशि नहीं है।
4. यह फिर से दोहराया जाता है कि ओएम दिनांक 07.03.2011 को ''स्वायत्त/सांविधिक निकाय के बैंकिंग व्यवसाय आरबीआई के अभिकर्त्ता व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आता''। आरबीआई स्वायत्त। सांविधिक निकाय के द्वारा बैंकिंग लेन-देन के लिए कोई भुगतान नहीं करता।
5. आरबीआई के पत्र दिनांक 16.01.2012 को यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि केंद्रीय सरकार मंत्रालय/विभाग (सीजीए के साथ परामर्श) एवं राज्य सरकार विभाग आरबीआई संदर्भ के बिना किसी भी पूर्वनिधित योजना को क्रिर्यान्वित कर सकती है, अत: इस तरह के योजना

अभिकर्त्ता व्यवसाय कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएंगी एवं आरबीआई द्वारा अभिकर्त्ता आयोग का भुगतान नहीं किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है।

प्रतिलिपि :

1. श्री ई.आर. सोलमन, उप नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सरकारी लेखा), ओ/ओ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पॉकेट-9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 1100124
2. श्री मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव, वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, तृतीय तल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001
3. प्रभारी मुख्य सामान्य प्रबंधक, डीजीबीए, भारतीय रिज़र्व बैंक, विपरीत - मुंबई केंद्रीय रेलवे स्टेशन, मुम्बई - 400008
4. उप- सीजीए (टीए)
5. उप- सीजीए (आईटीडी) - अपलोड हेतु
6. सीजीए के वरिष्ठ पीएस
7. अति. सीजीए (एमपीके) के पीएस